<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :— 43 / 2018

बउनवान

बद्रीलाल पुत्र रामनाथ जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा तहसील अटरू जिला बाराॅ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :— 1— श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (अपीलांट)
2— पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 08.05.2019</u>

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 164 / 2017 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम लोलाहेडी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 3 की रकबा 0.30 हेक्टयर भूमि पर फसल उडद की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150 / — रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 06.03.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी गई है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नही है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.01.2018 को पुलिस तलाशने गांव मे आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 30.01.2018 को आवेदन पेश कर दिनांक 02.02.2018 के नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल उडद की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 446 मे पारित आदेश दिनांक 26.4.2017 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। पत्रावली में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 164/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि तहसीलदार अटरू फसल बुवाई के समय माह जुलाई व अगस्त 2019 मे 2 बार जॉच करे, कि अपीलांट का यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम लोलाहेडी तहसील अटरू के खसरा नम्बर 03 की रकबा 0.30 हेक्टयर भूमि किस्म चारागाह पर वर्तमान में कब्जा है, तो उक्त भूमि से कब्जा छोड दे, तो तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 164/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां